भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 320

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन

320. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में क्रियान्वित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ख) महाराष्ट्र में विशेषकर यवतमाल-वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में विशेषकर परभणी और धाराशिव में उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने गाँवों की पहचान की गई है;

(घ) उक्त गाँवों, विशेषकर यवतमाल-वाशिम और परभणी लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिले धाराशिव में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और आजीविका जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कितना तक सुधार हुआ है;

(ङ) क्या सरकार को प्रमुख विकास क्षेत्रों में अंतर को पाटने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) विशेषकर महाराष्ट्र में उक्त समस्याओं से निपटने के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): 2021-22 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की पूर्ववर्ती योजना को व्यापक योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत शामिल शामिल कर दिया गया है। पीएम-अजय का आदर्श ग्राम घटक अनुसूचित जाति बहुल गांवों में में अवसंरचना और बुनियादी सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है, ताकि गरिमापूर्ण जीवन

सुनिश्चित किया जा सके और निवासियों को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद की जा सके। यह विशेष रूप से उन गांवों को लक्षित करता है, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या जनसंख्या 40% से अधिक है तथा कुल जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, तथा इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से उनका एकीकृत विकास करना है। आदर्श ग्राम घटक दस प्रमुख विकास क्षेत्रों को संबोधित करता है: पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और कौशल विकास, विकास, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण। जिन कमियों को अन्य योजनाओं द्वारा दूर न किया गया हो, उन कमियों को दूर करने के लिए इसके अंतर्गत राज्यों को निधियां प्रदान की की जाती हैं। आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत प्रगति को इन क्षेत्रों में 50 निगरानी योग्य संकेतकों के माध्यम से ट्रैक किया जाता है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इसका व्यापक दृष्टिकोण ऐसे गांवों को 'आदर्श ग्राम' में बदलना है, जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हों, असमानताएं न्यूनतम हों, और लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हों। यह योजना विकासात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच मजबूत अभिसरण और समन्वय पर भी जोर जोर देती है।

(ख): पीएम-अजय के आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में 515 गांवों का चयन किया गया है और महाराष्ट्र राज्य सरकार को 51.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इनमें से यवतमाल-वाशिम लोकसभा क्षेत्र के निम्नलिखित गाँवों का चयन किया गया है। आदर्श ग्राम घोषित गाँवों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिले	चयनित गांवों की संख्या	आदर्श ग्राम घोषित गांवों की संख्या	उन गांवों की संख्या जहां कार्य पूरा हो चुका है	लंबित गांवों की संख्या
1	यवतमाल	28	17	17	11
2	वाशिम	36	25	16	11

यवतमाल के लिए –3,50,40,000/- रुपये और वाशिम के लिए - गांवों में विकास कार्यों के लिए 3,50,20,000/- रुपये मंजूर किए गए हैं।

(ग): पीएम-अजय के आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र में 515 गाँवों का चयन किया गया है। इनमें से परभणी में 6 गाँव और धाराशिव (पूर्ववर्ती उस्मानाबाद जिला) में 6 गाँव चुने गए हैं।

(घ): यवतमाल में 17 गांव, वाशिम में 25 गांव, परभणी में 1 गांव और धाराशिव में 3 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।

इन गांवों में किए गए विकास कार्य 10 प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं, जैसे पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण।

(ङ): शून्य

(च): उपरोक्त (ङ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

******